न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 13/2024

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/16

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आजाद चौक, बांसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. मैसर्स एन्जॉय फिल एंड फलाई पता इंडियन आयल पेट्रोल पंप, रतलाम रोड बांसवाडा राज. (ऋणी/फर्म)
2. श्री दीपक जैन पुत्र श्री स्व. श्री बंसन्त लाल जैन निवासी प्लाट नं. 13, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाडा (जरिये कानूनी वारिश स्व. श्री बसंत लाल जैन)
3. श्री प्रवीण जैन पुत्र स्व. श्री बंसन्त लाल जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा (जरिये कानूनी वारिश स्व. श्री बसंत लाल जैन)
4. श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व. श्री बसंत लाल जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा (जरिये कानूनी वारिश स्व. श्री बसंत लाल जैन)
5. श्री धरनीधर पंड्या पुत्र श्री गोरी शंकर निवासी 23, माही सरोवर योजना हाउसिंग बोर्ड, बांसवाडा (जमानतदार)
6. श्री मयूर जैन पुत्र श्री प्रवीण जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा (जमानतदार)
7. श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व. श्री बसंत लाल जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा (जमानतदार)
8. श्री शिखर जैन पुत्र श्री प्रवीण जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा (जमानतदार)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 07–06–2024

प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आजाद चौक, बांसवाडा (राज.) की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैसर्स एन्जॉय फिल एंड फलाई पता

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

इंडियन आयल पेट्रोल पंप, रतलाम रोड बांसवाडा को दिनांक 28–07–2007 को 40,00,000 (चालीस लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। उक्त ऋण राशि साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो सर्वे नंबर 369/2, ऋषि कुंज रतलाम रोड, बांसवाडा (राज.) (क्षैत्रफल 12,450 वर्ग फीट) सम्पति स्वामित्व श्री बसंत लाल जैन पुत्र खुमजी जैन ने करार कर ऋण की अदाएगी हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किए थे। ऋणी द्वारा ब्याज एवं ऋण को चुकाने में असफल रहने पर उनका खाता दिनांक 27–07–2023 को एन.पी.ए. वर्गीकृत किया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 07.08.2023 को मांग नोटिस सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिया था जिसमें 60 दिवस में 39,94,438/– एवं दिनांक 01.08.2023 तक ब्याज की मांग की थी। ऋणी/ जमानतदार 60 दिवस में उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहे है। इस प्रकार ऋणी द्वारा बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखी सम्पत्ति, जिसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी अप्रार्थीगण के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 03–04–2024 को जारी किये। दिनांक 15–05–2024 को अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 5, 6, 8 उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 4 व 7 श्रीमती बसती देवी पत्नि स्व. बसंत लाल जैन जो प्रकरण में श्री बसंत लाल जैन की कानूनी वारिस एवं जमानतदार दोनो है का नोटिस अदम तामील इस आशय की रिर्पोट के साथ प्राप्त हुआ कि अप्रार्थीया की मृत्यु हो चुकी है।

दिनांक 07–06–2024 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 2, 3, 6, 8 उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 8 ने फर्द दस्तावेज के साथ श्रीमती बसंती देवी पत्नि श्री बसंत लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर कथन किया गया कि अप्रार्थी श्रीमती बसंती देवी पत्नि श्री बसंत लाल का निधन दिनांक 02–07–2018 को हो चुका है,

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

जिसकी जानकारी प्रार्थी बैंक को है। ऋणी श्री बसन्त लाल जैन पिता खुमजी जैन की मृत्यु दिनांक 17.10.2019 के पश्चात् बैंक द्वारा उनके विधिक वारिसान् तय किये थे। जिसमें अप्रार्थी सं. 4 श्रीमती बसंती देवी पत्नि बसंत लाल जैन को उनके विधिक वारिस रुप में तय किया है जबकि अप्रार्थी श्रीमती बसंती देवी की मृत्यु पूर्व में ही दिनांक 02.07.2018 को हो चुकी थी। अप्रार्थी श्रीमती बसंती देवी पत्नि श्री बसंत लाल के निधन की जानकारी होने के पश्चात् प्रार्थी ने धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। समस्त कार्यवाही विधि की दृष्टी से शून्य है एवं कानूनन अवैद्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 निरस्त किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया किया कि अप्रार्थी श्रीमती बसंती देवी पत्नि श्री बसंत लाल का निधन दिनांक 02–07–2018 को हो चुका है, जिसकी जानकारी प्रार्थी बैंक को नही थी। अप्रार्थीगर्णो ने भी इस सन्दर्भ में प्रार्थी बैंक को मृत्यु के सन्दर्भ में लिखित में अवगत नही कराया है। मृत्यु की जानकारी के अभाव में प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने फर्द दस्तावेज के संलग्न बैंक स्टेटमेंट पेश किया।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आजाद चौक, बांसवाडा (राज.) ने मैसर्स एन्जॉय फिल एंड फलाई पता इंडियन आयल पेट्रोल पंप, रतलाम रोड बांसवाडा को दिनांक 28–07–2007 को 40,00,000 (चालीस लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। उक्त ऋण राशि के एवज में साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो सर्वे नंबर 369/2, ऋषि कुंज रतलाम रोड, बांसवाडा (राज.) (क्षैत्रफल 12,450 वर्ग फीट) सम्पति स्वामित्व श्री बसंत लाल जैन पुत्र खुमजी जैन ने करार कर ऋण की अदाएगी हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किए थे।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार ऋणी (बंधक कर्ता)/ अप्रार्थी श्री बसंत लाल जैन पुत्र खुमजी जैन की मृत्यु दिनांक 17.10.2019 को हो जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा श्री दीपक जैन पुत्र श्री स्व. श्री बंसन्त लाल जैन निवासी प्लाट नं. 13, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाडा (जरिये कानूनी वारिश स्व. श्री बसंत लाल जैन), श्री प्रवीण जैन पुत्र स्व. श्री बंसन्त लाल जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा (जरिये कानूनी वारिश स्व. श्री बसंत लाल जैन), श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व. श्री बसंत लाल जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा (जरिये कानूनी वारिश स्व. श्री बसंत लाल जैन) को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। उपरोक्त ऋणी/ अप्रार्थीगणो द्वारा ब्याज एवं ऋण को चुकाने में असफल रहने पर उनका खाता दिनांक 27–07–2023 को एन.पी.ए. वर्गीकृत किया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 07.08.2023 को मांग नोटिस सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिया है। प्रस्तुत फर्द दस्तावेज के संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्रीमती बसंती देवी पत्नि श्री बसंत लाल का निधन दिनांक 02–07–2018 को हो चुका है। इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बांसवाडा (राज.) की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता ने दिनांक 03–04–2024 को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व. श्री बसंत लाल जैन निवासी आदिनाथ नगर, अगरपुरा रोड, बाहुवली कॉलोनी, बांसवाडा को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बांसवाडा (राज.) की ओर से श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व. श्री बसंत लाल जैन को उसकी की मृत्यु के पश्चात् ऋणी श्री बसंत लाल जैन पुत्र खुमजी जैन का विधिक वारिस मानते हुए उनसे उपरोक्त प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में सहायता बाबत् निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आरम्भ से ही शून्य है। इस प्रकरण में मृतक अप्रार्थी स्व. श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्व. श्री बसंत लाल जैन के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना कानूनी रुप से पोषणीय नही

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

होने से प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बांसवाडा (राज.) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)